

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई में टिप्पणी तारीख के साथ
10/7/2014	<p style="text-align: center;">सारण समाहरणालय, छपरा।</p> <p style="text-align: center;">न्यायालय जिला दंडाधिकारी, सारण, छपरा जिला विधि प्रशाखा आपूर्ति अपील संख्या 106/2011 धर्मनाथ पंडित बनाम बिहार सरकार एवं अन्य आदेश</p> <p>संदर्भित अपील आवेदन माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा CWJC सं0 4583/14 धर्मनाथ पंडित बनाम राज्य एवं अन्य में दिनांक 12.5.2014 के आदेश से संबंधित है। उक्त रिट याचिका अनुमंडल पदाधिकारी, सोनपुर के आदेश ज्ञापांक 1013/आपूर्ति दिनांक 19.11.2011 के विरुद्ध वाद दायर किया गया है। दायर अपील वाद की सुनवाई की गयी।</p> <p>वाद का संक्षिप्त इतिहास यह है कि जिला पदाधिकारी, सारण, छपरा के द्वारा गठित पंचायत वार जाँच दल द्वारा दिनांक 25.10.2011 को धर्मनाथ पंडित, जन वितरण प्रणाली विक्रेता, ग्राम पंचायत-हरिहरपुर, प्रखंड-दरियापुर के दुकान की जाँच की गयी थी। जाँच के क्रम में दुकान बंद पायी गई थी। इस संबंध में विक्रेता से स्पष्टीकरण की माँग की गयी। विक्रेता के द्वारा प्राप्त कराए गए स्पष्टीकरण पर प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, सोनपुर से मंतव्य की माँग की गयी। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, सोनपुर ने अपने प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया था कि विक्रेता का यह कृत्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2001 यथा संशोधित 2011 के प्रावधानों, अनुज्ञप्ति शर्तों तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल रिट याचिका 196/2001 में दिनांक 2.5.2003 को पारित न्यायादेश की कंडिका 1(ए) की स्पष्ट अवहेलना एवं उक्त प्रावधान के आलोक में अनुज्ञप्ति रद्द करने का निदेश है।</p> <p>निरीक्षी पदाधिकारी के निरीक्षण प्रतिवेदन तथा प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, सोनपुर के मंतव्य के आलोक में विक्रेता के द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण को अस्वीकृत करते हुए विक्रेता की अनुज्ञप्ति को रद्द कर दिया गया।</p>	




अनुज्ञप्ति रद्द करने संबंधी प्रश्नगत आदेश को चुनौती देते हुए उपस्थित अपीलकर्ता के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा बतलाया गया कि अपीलार्थी पर मात्र एक ही आरोप लगाया गया है, जिसमें कहा गया है कि जॉच के कम में दुकान बंद पायी गई थी। उक्त तिथि को अपीलार्थी के पेट में दर्द हो रहा था, इसलिए उपचार हेतु चिकित्सक के यहाँ चला गया था। अपीलार्थी दिनांक 25.10.11 से 28.10.11 तक उपचार हेतु रह गया था (चिकित्सीय प्रमाण-पत्र संलग्न)। विज्ञ अधिवक्ता ने अपीलार्थी की अनुज्ञप्ति को बहाल करने हेतु अनुरोध किया गया।


सरकार का पक्ष रखते हुए विज्ञ विशेष लोक अभियोजक के द्वारा बतलाया गया कि विक्रेता पर जो आरोप लगाया गया है, वह अनुज्ञप्ति की शर्तों, विभागीय दिशा-निर्देशों के उल्लंघन का परिचायक है।

उभय पक्षों को सुनने तथा अभिलेख के परिसीलन से पाया गया कि अनुमंडल पदाधिकारी, सोनपुर द्वारा Speaking order पारित नहीं किया गया है। ऐसे में इस मामले को पुनः जॉचोपरान्त वाद की सुनवाई कर मुखर आदेश पारित करने हेतु रिमांड किया जाता है।

वाद निष्पादित।

लेखापित एवं संशोधित


जिला दंडाधिकारी,
सारण, छपरा


जिला दंडाधिकारी,
सारण, छपरा

ज्ञापक 876 दिनांक 22/8/14.
प्रतिलिपि- SDO सोनपुर को LCR मूल में संलग्न कर
सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
प्रतिलिपि- NDC पदाधिकारी, साप को सूचनार्थ एवं
आवश्यक कार्रवाई हेतु।
महाप

वर्ष उप सहायता
जिला विधि शाखा
22/8/14 साप, छपरा।